

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

का.आ. (अ) केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2013, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में,-

(i) "अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची

अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए राज्य-वार मजदूरी की दर
(रु. प्रति दिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रतिदिन मजदूरी की दर
(1)	(2)	(3)
1.	असम	179.00 रु.
2.	आंध्र प्रदेश	180.00 रु.
3.	अरुणाचल प्रदेश	167.00 रु.
4.	बिहार	162.00 रु.
5.	गुजरात	178.00 रु.
6.	हरियाणा	251.00 रु.
7.	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र - 162.00 रु. अनुसूचित क्षेत्र - 203.00 रु.
8.	जम्मू - कश्मीर	164.00 रु.
9.	कर्नाटक	204.00 रु.
10.	केरल	229.00 रु.
11.	मध्य प्रदेश	159.00 रु.
12.	महाराष्ट्र	181.00 रु.
13.	मणिपुर	190.00 रु.
14.	मेघालय	163.00 रु.
15.	मिजोरम	183.00 रु.

16.	नागालैंड	167.00 रु.
17.	ओडिशा	174.00 रु.
18.	पंजाब	210.00 रु.
19.	राजस्थान	173.00 रु.
20.	सिक्किम	167.00 रु.
21.	तमिलनाडु	183.00 रु.
22.	त्रिपुरा	167.00 रु.
23.	उत्तर प्रदेश	161.00 रु.
24.	पश्चिमी बंगाल	174.00 रु.
25.	छत्तीसगढ़	159.00 रु.
26.	झारखंड	162.00 रु.
27.	उत्तराखंड	161.00 रु.
28.	गोवा	208.00 रु.
29.	अंडमान और निकोबार	अंडमान जिला
		228.00 रु.
		निकोबार जिला
		241.00 रु.
30.	दादरा और नगर हवेली	196.00 रु.
31.	दमण और दीव	181.00 रु.
32.	लक्षद्वीप	210.00 रु.
33.	पुडुचेरी	183.00 रु.
34.	चंडीगढ़	239.00 रु.
35.	तेलंगाना	180.00 रु. ”

(ii) दूसरे पैरा को हटाया जाएगा।

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. जे. - 11011/1/2009-एमजीएनआरईजीए(भाग 3)]

अपराजिता सारंगी

अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 463 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:

(i) का.आ. 400(अ), तारीख 13 फरवरी, 2014 ; और

(ii) का.आ. 2118(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014।